E-mail

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः–..............................

संख्याः–8/आ0 (राज0 उ0)–02–37/2013....1434..../श्री अंजनी कुमार सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद के विरूद्ध महालेखाकार के प्रतिवेदन के आधार पर अनुज्ञाशुल्क जमा नहीं कराने एवं उत्पाद दुकानों का विखंडन विलंब से करने के कारण 93.69 लाख रू0 की राजस्व क्षति के मामले में विभागीय संकल्प सं0–44 दिनांक–06.01.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. अपर सदस्य राजस्व पर्षद सह–अपर विभागीय जॉच आयुक्त बिहार पटना, द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–445 दिनांक–08.09.2017 द्वारा समर्पित किया गया है, जिसमें तीनों आरोपों को प्रमाणित बताया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–18 (3) के अन्तर्गत विभागीय पत्रांक–4094 दिनांक–25.09.2017 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान मॉग की गयी।

4. श्री सिन्हा को प्रेषित पत्र वापस लौट जाने के कारण इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया परन्तु इनके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपना बचाव वयान समर्पित नहीं किया गया।

5. अतएव संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम 43 (क) प्रावधान के अन्तर्गत उनके पेंशन से 20 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–4852 दिनांक–04.12.2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श/अभिमत प्राप्त किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–86 दिनांक 11.04.2018 द्वारा सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव में अपना सहमति संसूचित की गई है।

6. उक्त के आलोक में श्री अंजनी कुमार सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद सिवान सम्प्रति सेवा निवृत्त के बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 ('क') के प्रवाधान के अंतर्गत उनके पेंशन से 20% (बीस) प्रतिशत राशि अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा एतद् द्वारा विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अभय राज)
सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–8/आ0 (राज0 उ0)–02–37/2013 पटना, दिनांकः–........................

प्रतिलिपिः–अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ ई–गजट कि विभाग को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–8/आ0 (राज0 उ0)–02–37/2013 – 1434 पटना, दिनांकः–20.04.18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/अवर सचिव कि विभाग (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/समाहर्त्ता, सिवान/जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान/अधीक्षक उत्पाद सिवान/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–05/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री अंजनी कुमार सिन्हा सेवानिवृत्त अधीक्षक उत्पाद C/O श्री आर0 बी0 राव, सेवानिवृत्त आईव जी0, पुलिस कॉलोनी, सेक्टर–ए.H.N. 85/A, अनिसाबाद, पटना–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/4/18

सरकार के विशेष सचिव

बिहार, पटना।